



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

[ रा.रा.सं.दि. सं. 297

No. 297]

DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

[N.C.T.D. No. 297

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सं. फा. 16(601) / श.वि. / जल / 2016 / 2165.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, एतद्द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन का निर्देश देते हैं:-

- (क). प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक जल का उपभोग करने वाले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के घरेलू उपभोक्ताओं जिन्होनें जल मीटर लगवाया हो 01 मार्च, 2015 से पानी बिल के सभी घटकों अर्थात् जल प्रभार, सीवरेज रखरखाव प्रभार, सर्विस प्रभार, मीटर किराया (जो भी लागू हो) तथा उपकर सम्मिलित है, के भूगतान में छूट प्राप्त होगी।
- (ख). प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक निःशुल्क पानी प्राप्त करने का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पानी के मीटर चालू होंगे।
- (ग) प्रतिमाह 20 किलोलीटर से अधिक पानी का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को लागू प्रभार के अनुसार पूरी खपत के लिए बिल देना होगा।
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए की नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् का प्रचालन प्रभावित न हो इसके लिए दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष में 2.60 करोड़ रूपये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को प्रदान करेगी ।
- (ड) उपयुक्त राशि प्रत्येक तिमाही में निर्गत की जायेगी।
- (च) यह राशि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा अनुरक्षित अलग बैंक खाते में रखी जायेगी और दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के बीच खाते के समन्वय के लिए उचित तंत्र तैयार किया जायेगा।
- (छ) उपभोक्ताओं को यह छूट सीधे बिल में दी जायेगी तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् खंड (ड) में उल्लिखित खाते से राशि का विनियोजन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, आर. सी केशरवानी, सहायक निदेशक (जल)

6062 DG/2016

## DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th December, 2016

F. No. 16 (601)/UD/W/2016/2165.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby directs New Delhi Municipal Council to comply with the following directions as under: -

- (i) The domestic consumers of NDMC area having water meters and consuming water up to 20 KL per month will be exempted from payment of water bill including all components namely, water charges, sewerage maintenance charge, service charge, meter rent (wherever applicable) and cess w.e.f. from 01.03.2015.
- (ii) The benefit of free water upto 20 KL per month will be available only to those consumers who have functional water meters.
- (iii) Domestic consumers consuming more than 20 KL per month will be billed as per applicable tariff for their entire consumption.
- (iv) To ensure that operations of NDMC do not suffer, and to compensate NDMC, Rs. 2.60 Crore per year would be released by Delhi Government to NDMC.
- (v) The above amount will be released quarterly.
- (vi) This money will be kept in a separate bank account to be maintained by NDMC and suitable mechanism will be worked out for reconciliation of account between the Delhi Government and NDMC.
- (vii) The consumers will be provided the rebate directly in the bill itself and NDMC will appropriate the money from the account as mentioned in (vi) above.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)